न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–260/2023 दायर दिनांक: 06.10.2023

GCMS NO:- 2023/410 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. हेमराज आ0 बजरंगा जाति मीणा नि0 खोलाडा।
2. कन्या बाई पत्नी रामनिवास जाति मीणा नि0 खोलाडा।
3. दुर्गालाल आ0 छीतर जाति मीणा नि0 खोलाडा।
4. प्रेमबाई पुत्री बजरंगा जाति मीणा नि0 खोलाडा।
5. गीतू बाई पुत्री बजरंगा जाति मीणा नि0 खोलाडा।
6. मोरपाल आ0 बजरंगा जाति मीणा नि0 खोलाडा।
7. शान्ति पुत्री बजरंगा जाति मीणा नि0 खोलाडा।
8. सीताराम आ0 बजरंगा जाति मीणा नि0 खोलाडा।
9. सोहनी पत्नी बजरंगा जाति मीणा नि0 खोलाडा।
10. राजाराम आ0 छीतर जाति मीणा नि0 खोलाडा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. दुर्गालाल आ0 बरधा जाति मीणा नि0 खोलाडा।
2. संतोकी पत्नी दुर्गालाल जाति मीणा नि0 खोलाडा।
3. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट</u>

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री हरिनारायण स्वामी।

निर्णय दिनांक 27.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम खोलाडा प.म. सुवानिया मे खसरा नम्बर 161, 181, 277, 401, 564, 721, 741 कुल किता 7 कुल रकबा 7.1677 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की भूमि है।

यह कि उक्त भूमि खसरा नम्बरान मे से खसरा नम्बर 741 रकबा 1.9901 हैक्टयर भूमि का पटवारी हल्का सुवानिया द्वारा सीमाज्ञान कराकर ही अपनी उक्त भूमि खसरा नम्बर 741 के डोल व सीमाबंदी की थी लेकिन उक्त सीमाओं को भी प्रत्यार्थीगण नही मान रहे है और सीमा चिन्हो को बिगाड कर नष्ट कर दिया है तथा प्रत्यार्थीगण प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा व मारपीट करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा पेश व शपथ पत्र पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे उक्त भूमि का सीमाज्ञान प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे होना बताया गया है। उक्त प्रकरण को चलते लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है तथा यह एक समरी ट्रायल है एवं तहसीलदार नैनवॉ की आदिनांक तक रिपोर्ट अप्राप्त है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम खोलाडा प. म. सुवानिया मे खसरा नम्बर 741 रकबा 1.9901 भूमि पर यदि प्रार्थीगण का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.5.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ (बून्दी)